न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 92/2019

प्रार्थी :–
कुम्भाराम पुत्र कालुराम जाति जाट
निवासी रियां तहसील पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :–
भूमिधारी जरीये तहसीलदार
पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री जगदीश प्रसाद दवे
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 29.08.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित खाता सं. 1116 में खसरानम्बर 1761, 1775, 1776, 1777, 1781, 1782, 1782/1815, कुल खसरा नम्बर 7 कुल रकबा 1.6343 हैक्टयर व खाता सं. 570 में खसरानम्बर 129, 130, 131, 1492, 163, 768, 771, कुल खसरा 7 कुल रकबा 18.2591 हैक्टयर भूमि आयी हुई है । पद सं. एक में वर्णित आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुद जायदाद है। खाता सं. 1116 खसरानम्बर 1761, 1775, 1776, 1777, 1781, 1782, 1782/1815 में प्रार्थी का 1/36 वां हिस्सा तथा खाता सं. 570 के खसरानम्बर 129, 130, 131, 1492, 163, 768, 771, में प्रार्थी का 1/18 वां हिस्सा है । उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी को अपने पिता स्व. कालूराम से प्राप्त हुई । वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थी के पिता कालूराम पुत्र गुलाराम की संयुक्त खातेदारी कब्जासुद भूमि थी। कालूराम पुत्र गुलाराम के देहान्त पश्चात् फौतेदगी नामान्तरण सं. 1662 स्वीकृत किया गया । जिसमें मुल्तानराम, कुम्भाराम, पिता कालुराम, प्रेम पुत्री कालुराम भरा गया था लेकिन इसके पश्चात् जमाबन्दी तैयार करते समय प्रार्थी का नाम कुम्भाराम के स्थान पर कूमारराम पुत्र कालुराम व कुनाराम पुत्र कालुराम अलग अलग जमाबन्दी में गलत रूप से इन्द्राज हो गया । प्रार्थी का नाम कुम्भाराम पुत्र श्री कालुराम है तथा प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड मे प्रार्थी का नाम कुम्भाराम पुत्र कालुराम है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पैतृक सहदायगी सम्पति है । जिसपर पूर्व में प्रार्थी के पिता कालुराम पुत्र गुलाराम सहखातेदार काश्तकार के काबिज थें तथा कालुराम पुत्र गुलाराम के देहान्त के पश्चात् फौतेदगी नामान्तकरण सं. 1662 भरा गया जिसमें मुलतान, कुम्भाराम पिता कालुराम, प्रेम पुत्री कालुराम इन्द्राज हुआ। लेकिन इसके पश्चात् जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय खसरा नम्बर 1761, 1775, 1776, 1777, 1781, 1782, 1782/1815 में प्रार्थी का नाम कुम्भाराम पुत्र कालुराम 1/36 वां हिस्सा के स्थान पर गलत त्रुटिवंश कुमाराम पुत्र कालुराम 1/36 वां हिस्सा दर्ज हो गया तथा खसरानम्बर 129, 130, 131, 1492,163, 768, 771 में प्रार्थी का नाम कुम्भाराम पुत्र कालुराम 1/18 वां हिस्सा के स्थान पर गलत त्रुटिवंश

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

कुनाराम पुत्र कालुराम 1/18 वां हिस्सा दर्ज हो गया । जिसकी जानकारी प्रार्थी को नही रही । प्रार्थी ने हाल ही में अपनी खातेदारी भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया एवं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकले दिनांक 17.12.2018 का प्राप्त की तब सम्पूर्ण जानकारी हुई कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम कुम्भाराम के स्थान पर गलत रूप से कुमारराम व कुनाराम दर्ज हो गया । इसलिए प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड पुराना खाता 748 नया खाता 1116 में प्रार्थी का नाम कुमारराम पुत्र कालुराम 1/36 वां हिस्सा के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर कुम्भाराम पुत्र कालुराम 1/36 वां हिस्सा दर्ज करवाने एंव राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी पुराना खाता 746 नया खाता सं. 570 में प्रार्थी का नाम कुनाराम पुत्र कालुराम 1/18 वां हिस्सा के स्थान पर दुरूस्ती फरमायी जाकर कुम्भाराम पुत्र कालुराम 1/18 वां हिस्सा दर्ज करवाने हेतु प्रस्तुत किया इस पर अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय हाजा से ही दुरूस्ती करवाने हेतु कहा इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय हाजा में रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश करना पड़ रहा है । वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का नाम कुम्भाराम पुत्र कालुराम के स्थान पर जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय व जमाबन्दी ऑनलाईन करते समय सेवन से त्रुटिवंश कुमारराम पुत्र कालुराम व कुनाराम पुत्र कालुराम गलत रूप से इन्द्राज हो गये जिसको दुरूस्त फरमाया जाकर कुमारराम पुत्र कालुराम के स्थान पर कुम्भाराम पुत्र कालुराम व कुनाराम पुत्र कालुराम के स्थान पर कुम्भाराम पुत्र कालुराम इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावे । मामला रेकर्ड दुरूस्ती का होने से न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है । अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि ग्राम रियां की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1761, 1775, 1776, 1777, 1781, 1782, 1782/1815 कुल खसरा 7 कुल रकबा 1.6343 में कुमारराम पुत्र कालुराम हिस्सा 1/36 वां के स्थान पर कुम्भाराम पुत्र कालुराम हिस्सा 1/36 वां दुरूस्त कर इन्द्राज फरमावें तथा खसरा नम्बर 129, 130, 131, 1492, 163, 768, 771 कुल खसरा 7 कुल रकवा 18.2891 हैक्टयर में कुनाराम पुत्र कालुराम हिस्सा 1/18 वां के स्थान पर रेकर्ड दुरूस्त कर कुम्भाराम पुत्र कालुराम हिस्सा 1/18 वां दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें । अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थी हो प्रार्थी के हक में अता फरमावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर का सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम रियां का नामान्तरकरण सं. 1662 दिनांक 5.07.2009 अनुसार खाता सं. 601, 602 में कालुराम फौत के स्थान पर मुल्तानराम, कुम्भाराम पुत्र कालुराम वगैरा के नाम दर्ज किये । ऑनलाईन जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के खाता सं. 570 में कुनाराम पुत्र कालुराम, व खाता सं. 1116 में कुमारराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

कालुराम सेवन से दर्ज गलत हो गया । अतः निवेदन है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में ग्राम रियां के खाता सं. 570, व 1116 में कुनाराम पुत्र कालुराम, व कुमारराम पुत्र कालुराम के स्थान पर कुम्भाराम पुत्र कालुराम दर्ज किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, जवाब तहसीलदार का अवलोकन किया । दस्तावेजात, जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम रियां के खाता सं. 570, में दर्ज नाम कुनाराम पुत्र कालुराम व खाता सं. 1116 में दर्ज नाम कुमारराम पुत्र कालुराम के स्थान पर सही नाम कुम्भाराम पुत्र कालुराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 29.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner